सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

महेन्द्र बनाम भैरव गृह निर्माण समिति

58/2021 TI

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	9-12-2021	पत्रावली पेश हुई। व॰ फ॰ उप॰/ अप्रार्थी संख्या 5 ने जवाब प्रा॰ पत्र पेश किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण ने अन्तिम बहस की। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 16-12-2021 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	16-12-2021	पत्रावली पेश हुई। व॰ फ॰ उप॰। प्रार्थना-पत्र अ॰ नि॰ स्वीकार किया जाकर। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। संलग्न मूल वाद हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:01:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मुख्यालय जयपुर।

बइजलासः अपर्णा शर्मा आर.ए.एस

निर्णय दिनांक : 16.12.2021

प्रार्थना–पत्र संख्या 58 / 2021

1. महेन्द्र पुत्र स्व. श्री कजोड
2. घनश्याम पुत्र स्व. श्री कजोड
3. प्रभाती देवी पत्नी स्व. श्री कजोड जातियान–खटीक,निवासी–खटीकों का मौहल्ला ग्राम नीदड तहसील आमेर जिला–जयपुर
4. निर्मला देवी पुत्री स्व. श्री कजोड पत्नी श्री जितेन्द्र जाति खटीक,निवासी जवाहर नगर,जयपुर,जिला–जयपुर

———प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, रजिस्टर्ड नम्बर 3122 / एल, जरिये मंत्री श्री मालीराम रैगर पुत्र श्री डूंगराराम रैगर, जाति रैगर, निवासी प्लोट संख्या 197, सुभाष नगर कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर, राजस्थान।
2. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा, जाति ब्रह्मण निवासी ग्राम दौलतपुरा पुलिस थाना हरमाडा, सीकर रोड जयपुर।
3. थानाधिकारी पुलिस थाना हरमाडा सीकर रोड जयपुर।
4. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राजस्थान।
5. जयपुर विद्युत वितरण निगम जरिये सहायक अभियन्ता पता रोड नम्बर 6 वीकेआईए के सामने सीकर रोड जयपुर।

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, पटवार हल्का नांगल सिरस, तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 405 / 1035, रकबा 0.1800 है0, खसरा नम्बर 406 / 1036 रकबा 0.3500 है0, खसरा नम्बर 410 / 1037 रकब 0.2700 है0, खसरा नम्बर 420 / 1038 रकबा 0. 0700 है0 खसरा नम्बर 421 रकबा 0.7000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 423 / 1040 रकबा 0. 1500 है0, खसरा नम्बर 429 / 1039 रकबा 0.0300 है0 खसरा नम्बर 443 रकबा 0. 2800 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.03 हैक्टेयर, प्रार्थीगण का पिता व पति रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है।

विवादित आराजीयात तथा उसके किसी भी भू–भाग से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का किसी प्रकार से कोई संबंध व सरोकार नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 3 को प्रा[illegible] द्वारा निर्माण करने पर आमादा होने पर निर्माण रुकवाने के लिए [illegible] प्रस्तुत किया।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:01:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण के पिता व पति का स्वर्गवास हो गया है, जो वादग्रस्त भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है, प्रार्थीगण उसके विधिक वारिसान है तथा बतौर उत्तराधिकार अधिनियम वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार है।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण के हक व अधिकार एवं खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करने पर तथा अवैध रूप से फर्जी व साजसी इकरारनामे के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 से साजकर फर्जी व साजसी पट्टे जारी करवाकर कॉलोनी काटने तथ प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि पर से जबरन बेदखल करने पर आमदा है।

अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र के अंकित किया है कि मृतक खातेदार कजोड़ पुत्र बद्री ने भूमि को बेचान अपने जीवन काल में ही अप्रार्थी संख्या 1 सोसायटी का कर्ताधरता जैसा कि टाईटल में लिखे गये वर्णन से सिद्व है िकवे एस.सी/एसटी के मुखिया द्वारा जी संचालित है।

अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 2 दिसम्बर 2020 को एक विक्रय इकरारनामा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वयं प्लोट बेच रहे है ओर पैसे ले रहे है। जैसा इकरारनामा दिनांक 02.12.2020 की फोटो प्रति की पुस्त पर दर्ज है। इसलिए कजोड पुत्र बद्री की खातेदारी की भूमि में उनका कोई हक हिस्सा शेष नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि अप्रार्थी संख्या 5 का कोई विवाद नहीं हैं और ना हीं कोई संबंध एवं सरोकार है, बिना किसी कारण के एवं छवि धूमिल करने के गरज से पक्षकार बनाया गया है।

दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 1, 2, 4 के पिता तथा प्रार्थी संख्या 3 के पति स्व0 श्री कजोड़ पुत्र बद्री के नाम आज दिनांक तक रिकॉर्डेड खातेदारी है वही दूसरी ओर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने बताया कि स्व0 कजोड़ पुत्र बद्री ने 2010 में ही उक्त विवादित आराजीयात् को बेचान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को कर दिया था तथा उक्त विवादित आराजीयात एक पुनः एग्रीमेण्ट 2 दिसम्बर 2020 को किया गया। आज दिनांक तक अप्राथी संख्या 1 ही मौके पर काबिज है। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी ने अंकित किया कि इस Unregistered Agreement पर अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर नहीं है, ना ही अप्रार्थी संख्या 4 के। उपरोक्त विवादित आराजीयात काश्तकारी अधिनियम के से[illegible] 4[illegible] का उल्लंघन करके इकरारनामा से क्रय की है जिसकी मह[illegible] शून्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:01:17 IST
Reason: SelfAttested

हमने विद्वान उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सु[illegible] पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण के पिता कजोड़ के नाम वादग्रस्त भूमि दर्ज

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

खातेदारी में है। कजोड़ के मृत होने पर उसके पुत्रों एवं पत्नी ने अप्रार्थीगण के विरूद्व वाद पेश किया है। यद्यपि अप्रार्थीगण की ओर से अनरजिस्टर्ड एग्रीमेण्ट पेश किया है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी कजोड़ के नाम दर्ज है। RRT 2003 PAGE NO- 592 पर प्रकाशित निर्णय एवं धारा 140 Land Revenue Act के प्रावधान कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी के अंकन को सही होने की अवधारणा की जाएगी तथा अचल सम्पति के संबंध में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अभाव में अधिकार हस्तांतरित किया गया नहीं माना जा सकता है। इस सम्बन्ध में RRT 2013(2) PAGE NO 1164 में प्रकाशित निर्णय में सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि अन्रजिस्टर्ड दस्तावेजात के आधार पर अधिकार उत्पन्न नहीं होते। विवादित आराजीयात् आज दिनांक तक राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी कजोड़ के नाम दर्ज है, जो SC सदस्य है, SC द्वारा SC सदस्य को ही भूमि हस्तांतरित की जा सकती है। अन्य किसी को भी नहीं। ऐसी स्थिति में दावे के गुणावगुण पर निर्णय नहीं कर प्रथम दृष्टया दर्ज खातेदार कजोड़ के वारिसों प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन स्पष्ट है। प्रार्थी इसके अतिरिक्त प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा यदि अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण करते हैं तो प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमेबाजी में फंसना पडेगा जिससे सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तथ्य भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को ताफैसल वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादग्रस्त भूमि आराजी खाता संख्या खसरा नंबर 405/1035, रकबा 0.1800 है0, खसरा नम्बर 406/1036 रकबा 0.3500 है0, खसरा नम्बर 410/1037 रकब 0.2700 है0, खसरा नम्बर 420/1038 रकबा 0.0700 है0 खसरा नम्बर 421 रकबा 0.7000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 423/1040 रकबा 0.1500 है0, खसरा नम्बर 429/1039 रकबा 0.0300 है0 खसरा नम्बर 443 रकबा 0.2800 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.03 हैक्टेयर, वाके ग्राम बैनाड मय दौलतपुरा, पटवार हल्का नांगल सिरस, तहसील आमेर जिला जयपुर पर वे ता–फैसल वाद किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करें तथा विशिष्ठ भू–भाग का बेचान न करे व मौके की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर संलग्न मूल वाद हो।

सहायक कलेक्टर
आमेर जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.09.19 15:01:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner